न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83/2009 राजस्व वादपत्र

उनवान

1. सोहनलाल पिता गोरीलाल जी विश्नोई आयु 40 साल साकिन विश्नोई मोहल्ला पुर तह0 भीलवाड़ा
2. उदयलाल पिता माधुलाल जी माली आयु वयस्क निवासी माली मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. जमनादास पिता हजारीदास जी बैरागी आयु वयस्क साकिन पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. वादी अधिवक्ता श्री श्यामलाल आगाल
2. प्रतिवादी अधिवक्ता श्री दिनेश भण्डोवरा

वाद बाबत बंटवारा व

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 17.03.2025

वादीगण द्वारा दिनांक 15.04.2009 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 183 के अन्तर्गत वाद ग्राम पुर की आराजी नम्बर 7105 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व आराजी नम्बर 7152 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा का विभाजन एवं कब्जा दिलाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रामनिवास गुप्ता व दिनेश मंडोवरा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 22.11.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का सार निम्नानुसार है–

1. वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी कम संख्या 1 के मध्य सिविल न्यायालय माननीय अपर जिला न्यायाधीश फास्टट्रेक कम संख्या 2 में दायर दीवानी प्रकरण संख्या 129/2007 जमनादास बनाम सोहनलाल, उदयलाल व अन्य प्रस्तुत हुए थे। जिसमें दिनांक 19.03.2009 को निर्णय पारित हुआ था। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, मुख्य पीठ जोधपुर में एसबी सिविल प्रथम अपील संख्या 320/2009 जमनादास बनाम सोहनलाल व अन्य दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2009 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। उक्त स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभावी होने से वादी द्वारा दायर वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन एवं कब्जा प्रदान किए जाने की डिक्री हेतु प्रस्तुत किया गया है और उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी को संबोधित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अनुसूची तृतीय के अनुसार उक्त प्रकृति के वाद सुनने की अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी को नहीं होकर सहायक कलक्टर को होती है। अतः वादी द्वारा गलत अधिकारिता के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने से प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

17/3/2025

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का दिनांक 11.02.2025 तक जवाब पेश नहीं किये जाने से अप्रार्थी 1 वादी का जवाब बंद किया जाकर बहस सुनी गई। प्रतिवादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस काशीदास पुत्र गिरधारी दास द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का जमनादास, कानादास पिता हजारीदास के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 28.01.2002 की प्रति, माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्टट्रेक कम संख्या 2 में प्रस्तुत वाद पत्र की फोटोप्रति, काशीदास पुत्र गिरधारीदास द्वारा वादग्रस्त भूमि का वादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 09.03.2007 की प्रति पेश की। साथ ही RRD 1999 हरी चन्द एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नजीर प्रस्तुत की। वादी अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बाम्बे (गोवा पीठ) द्वारा प्रथम अपील संख्या 45/84 निर्णय दिनांक 18.06.1985 की नजीर पेश की।

प्रतिवादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि चुंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान (जोधपुर पीठ) में सिविल प्रथम अपील दायर होकर लंबित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में बंटवारा एवं कब्जा प्रदान किए जाने का आदेश जारी कर दिए जाते है तो प्रतिवादी के हितों को नुकसान होगा। चुंकि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2009 को प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में निम्न स्थगन आदेश प्रसारित है–

Heard learned Counsel for the appellant. Having heard learned Counsel for the appellant, during pendency of the present appeal, the respondent-defendants are directed not to alienate, transfer or dispose of the land in question. The stay application stands disposed of accordingly.

अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। साथ ही प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (4) में सहायक कलक्टर तथा धारा 5(40) में उपखण्ड अधिकारी को परिभाषित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को न्यायालय सहायक कलक्टर की समस्त शक्तियां नहीं होने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद गलत न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। साथ ही माननीय सिविल न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्टट्रेक कम संख्या 2 में वादी/ प्रतिवादीगण के मध्य वाद दायर होने एवं निर्णित होने का वादी द्वारा अपने वादपत्र में अंकन नही है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय में दायर वाद स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिविटल बहस में निवेदन किया गया कि चुंकि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय का एसबी सिविल प्रथम अपील संख्या 320/2009 में स्थगन आदेश प्रभावी है। अतः किसी भी प्रकार का बंटवारा/कब्जा दिलाये जाने का आदेश किया जाना उचित नहीं है।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस का चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण एवं पूर्व खातेदार काशीदास पुत्र गिरधारीदास के मध्य निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.03.2007 को प्रतिवादी जमनादास पुत्र हजारीदास द्वारा शून्य एवं अवैध घोषित कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील विचाराधीन है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत प्रथम अपील का आधार पूर्व खातेदार काशीदास पुत्र गिरधारीदास द्वारा प्रतिवादी जमनादास पुत्र हजारीदास के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 20.01.2002 है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय का एस0बी0 सिविल प्रथम अपील संख्या 320/2009 में स्थगन आदेश दिनांक 17.07.2009 से प्रभावी होकर वर्तमान में जारी है।

17/3/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रथम बिन्दु में उठायी गयी आपति निराधार है क्योंकि सिविल न्यायालय में पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है और इस न्यायालय में विचाराधीन वाद वादग्रस्त भूमि के विभाजन बाबत प्रस्तुत है। चूंकि उक्त दोनों वाद में चाहा गया वादकारण एवं अनुतोष भिन्न है तथा इस न्यायालय में विचाराधीन वाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः प्रथम बिन्दु प्रथमदृष्टया खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा उठाई गई द्वितीय आपति में वाद उपखण्ड अधिकारी को शक्तियां प्राप्त नहीं होने पर भी पेश किये जाने बाबत है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (40) में उपखण्ड अधिकारी के अधिकारों की परिभाषा स्पष्ट है। चूंकि वाद प्रस्तुतीकरण के समय वादग्रस्त भूमि के क्षेत्राधिकार में सहायक कलक्टर का पद सृजित नहीं होने से उपखण्ड अधिकारी को समस्त शक्तियां प्राप्त की। अतः बिन्दु संख्या 2 प्रथमदृष्टया खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पोषणीय नहीं होने से प्रथमदृष्टया खारिज योग्य है। परन्तु वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का एस0बी0 सिविल प्रथम अपील संख्या 320/2009 में प्रतिवादीगण अर्थात् इस न्यायालय में विचाराधीन वादीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 17.07.2009 से प्रभावी है। अतएव

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है। परन्तु वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का एस0 बी0 सिविल प्रथम अपील संख्या 320/2009 में स्थगन आदेश प्रभावी होने से वादग्रस्त भूमि बाबत् कोई आदेश जारी किया जाना युक्तियुक्त नहीं है। अतः उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण को आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस0बी0 सिविल प्रथम अपील संख्या 320/2009 के अंतिम निस्तारण उपरान्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रथम अपील के निर्णय की प्रति पेश करने पर पत्रावली पुनः नम्बर पर दर्ज की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

17/3/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा